



दिनांक 10.06.2024

प्रेस विज्ञप्ति 11/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद इटावा/थाना बढपुरा

- 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 लैपटॉप, 01 मोबाइल फोन, 01 एडॉप्टर बरामद

दिनांक 09.06.2024 को थाना बढपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कस्बा भरौली के पास चौराहा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 लैपटॉप, 01 मोबाइल फोन, 01 एडॉप्टर बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बढपुरा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बढपुरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-मनोज कुमार निवासी ग्राम बौडहा माधोपुर थाना लौकहा जनपद मधुबनी बिहार.

बरामदगी

1-01 लैपटॉप, 01 मोबाइल फोन, 01 एडॉप्टर।

जनपद चित्रकूट/थाना कोतवाली कर्वी

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 12 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक: 09.06.2024 की रात्रि थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कंचनपुर लौढ़िया से 02 अभियुक्तों 1-रज्जू उर्फ राजू 2-संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 12 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त रज्जू उर्फ राजू के विरुद्ध जनपद बांदा, चित्रकूट के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रज्जू उर्फ राजू निवासी खटेहटा, थाना बदौसा जनपद बांदा।

2—संतोष कुमार निवासी सेमरिया कस्बा व थाना अर्तरा जनपद बांदा।

बरामदगी

1—चोरी की 12 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर—113

● धोखाधड़ी के 06 अभियुक्त गिरफ्तार

● धोखाधड़ी के 03 लाख 90 हजार रुपये नगद

● 05 करोड़ 06 लाख 50 हजार रुपये के 61 चेक

● 16 मोबाइल फोन, 02 लैपटॉप आदि बरामद

दिनांक: 10.06.2024 को थाना सेक्टर—113 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सब्जी मण्डी सेक्टर—77 के पास चेकिंग के दौरान 06 अभियुक्तों 1—राहुल कुमार 2—अनुपम कुमार 3—दयानन्द उर्फ मोहित 4—सचिन 5—02 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 03 लाख 90 हजार रुपये नगद, 05 करोड़ 06 लाख 50 हजार रुपये के 61 चेक, 16 मोबाइल फोन, 02 लैपटॉप आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर—113 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राहुल कुमार निवासी ग्राम बभनलाई थाना रानी तालाब जनपद पटना, बिहार

हालपता—अजनारा लीगार्डन सेक्टर 16 बी ग्रेटर नोएडा थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

- 2-अनुपम कुमार निवासी न्यू रामपुर थाना बहादुरपुर जनपद पटना, बिहार
हालपता-अजनारा लीगार्डन सेक्टर 16 बी ग्रेटर नोएडा थाना बिसरख,
गौतमबुद्धनगर।
- 3-दयानन्द उर्फ मोहित निवासी विनायकी मंगलवारी रोड थाना सक्करधारा जनपद
नागपुर हालपता-मैट्रो स्टेशन के पास ममूरा सेक्टर 59 फेस-3 नोएडा।
- 4-सचिन निवासी ग्राम व थाना मनसुखपुरा, आगरा हालपता-गली नं0-31/4 संगम
बिहार थाना तिगड़ साउथ दिल्ली।
- 5-02 अभियुक्ता।

बरामदगी

- 1-धोखाधड़ी के 03 लाख 90 हजार रूपये नगद।
- 2-05 करोड़ 06 लाख 50 हजार रूपये के 61 चेक।
- 3-16 मोबाइल फोन, 02 लैपटॉप आदि।

जनपद रामपुर/थाना कोतवाली रामपुर

● 02 अभियुक्त गिरफ्तार

● लगभग 500 ग्राम अवैध चरस बरामद

दिनांक: 10.06.2024 को थाना कोतवाली रामपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आश्रम पद्धति रोड के पास खाली पड़े प्लाट से 02 अभियुक्तों 1-दानिश 2-जीशान उर्फ शानू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 500 ग्राम अवैध चरस बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली रामपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-दानिश निवासी मोहल्ला कुण्डा थाना कोतवाली रामपुर जनपद रामपुर।
- 2-जीशान उर्फ शानू निवासी मोहल्ला पुराना गंज छीपियान थाना गंज जनपद रामपुर।

बरामदगी

- 1-लगभग 500 ग्राम अवैध चरस।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना कटरा

●02 अभियुक्त गिरफ्तार

●200 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

दिनांक: 10.06.2024 को थाना कटरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नखासा बाजार कस्बा से 02 अभियुक्तों 1-मोईन 2-साजिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 200 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना कटरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-मोईन निवासी मोहल्ला नई बस्ती थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।

2-साजिद निवासी मोहल्ला नई बस्ती थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।

बरामदगी

1-200 ग्राम अवैध स्मैक।

➤ जनपद बदायूं/थाना बिसौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 55 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बदायूं पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बदायूं द्वारा थाना बिसौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/120बी/364ए/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अर्जुन को आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद रामपुर/थाना गंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रामपुर द्वारा थाना गंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त आजाद कमाल को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद हमीरपुर/थाना कुरारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना कुरारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1-कामता 2-शिवभान 3-रविभान 4-राजेश को आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद बाराबंकी (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 07 करोड़ 55 लाख रुपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद बाराबंकी पुलिस ने अभियुक्त 1-तारिक अनवर पुत्र मो0मुश्ताक 2-मो0शादाब पुत्र मुमताज निवासीगण ग्राम टेरा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 07 करोड़ 55 लाख रुपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

एस0टी0एफ0-अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 तस्कर 95.20 किग्रा0 गांजा के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 10-06-2024 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्यों को 95.20 किग्रा0 गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य लगभग 23 लाख रुपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. दौलात राज पुत्र रामविलास चौधरी निवासी पारपुर, थाना सिमटी तख्तियारपुर जनपद सहरसा बिहार। हाल पता-गली नं0-4, मामूरा सेक्टर 66, थाना फेस-3 जनपद गौतमबुद्धनगर

2. विपिन चौधरी पुत्र रामदेव चौधरी, निवासी कठारा, थाना किशनपुर, जनपद सुपौल बिहार। हाल पता—मिलक लक्ष्मी ग्रेटर नोयडा, थाना बिसरख, जनपद गौतमबुद्धनगर
3. अमित कुमार कनौजिया पुत्र मूलचन्द्र कनौजिया निवासी ग्राम औरास, थाना औरास जनपद उन्नाव। हाल पता—निवासी पतवारी, थाना थाना बिसरख, जनपद गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी:-

- 1- 95.20 किग्रा० गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य लगभग 23 लाख रूपये)
- 2- 02 अदद वैगनार कार, एच०आर०-55 ए०एम०-9423, एस०आर०-55, ए०क्यू० 8945।
- 3- 1600/- रूपये नगद।
- 4- 04 अदद मोबाइल।
- 5- 02 अदद एटीएम कार्ड।
- 6- 01 अदद ड्राइविंग लाइसेंस।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक:-

हिन्दूआरी तिराहा के पास, मीरजापुर रोड, थाना कोतवाली रावर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र। दिनांक 10-06-2024 समय-11:45 बजे प्रातः।

एस०टी०एफ० उ०प्र० को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में श्री सत्यसेन यादव, अपर पुलिस अधीक्षक एस०टी०एफ० उ०प्र० लखनऊ के पर्यवेक्षण में निरी० प्रमोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में उ०नि० वीरेन्द्र कुमार यादव, मु०आ० प्रभात कुमार, मु०आ० नीरज कुमार, आरक्षी अंकुर मिश्रा की एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

दिनांक 10-06-2024 अभिसूचना संकलन के क्रम में एसटीएफ टीम जनपद सोनभद्र में मौजूद थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि मादक पदार्थ की तस्करी करने गिरोह के कुछ लोग सोनभद्र के किसी तस्कर से गॉजा की बडी खेप लेकर गौतमबुद्धनगर जाने वाले है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा हिन्दूआरी तिराहा के पास, मीरजापुर रोड, थाना कोतवाली रावर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र से तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि उनका एक गिरोह है जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करता है। इस गिरोह द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर व आस-पास के जनपदों में अवैध मादक पदार्थों (गॉजा) की सप्लाई की जाती है। यह लोग विजेन्द्र यादव निवासी थाना क्षेत्र मॉची, सोनभद्र से सस्ते दामों में गॉजा खरीदते है, जिसकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित नई दिल्ली आदि स्थानों पर ऊचे दामों में सप्लाई करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली रावर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है।
